प्रेषक,

यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
इटावा।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा, श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

विषय :- न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम (O.P.S.) का विकल्प चुनने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन के साथ अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन संख्या- A-2/E-1/2003 अर्थात् पी०सी०एस०जे०-2003 बैच की परीक्षा में सम्मिलत हुआ था। अधोहस्ताक्षरी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन नम्बर 42500/2005 दाखिल किया गया था जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 17 सितम्बर 2013 को याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय दिया गया। लोक सेवा आयोग, उ०प्र० एवं नियुक्ति अनुभाग, स्टेट ऑफ यू०पी० को 2003 बैच में अधोहस्ताक्षरी के नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया। माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध लोक सेवा आयोग, उ०प्र० के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय (Hon'ble Supreme Court) के समक्ष एस०एल०पी० दाखिल किया, किन्तु एस०एल०पी० माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके उपरान्त अधोहस्ताक्षरी को 2003 बैच के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया गया। मेरे द्वारा दिसम्बर 2014 में 2003 बैच में ज्वाइन किया गया।

यह भी तथ्य संज्ञान में लाना आवश्यक होगा कि प्रार्थी 2003 बैच में ज्वाइन करने के पूर्व 2006 बैच में कार्यरत था। 2006 बैच में प्रार्थी 02 जुलाई 2009 से 06 दिसम्बर 2014 तक कार्यरत रहा।

अतः माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित निर्णय के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी 2003 बैच में नियुक्त हुआ। 2003 बैच में आने के

उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी को 2006 बैच की पुरानी आई०डी० के स्थान पर नया आई०डी० UP 2036 एलॉट किया गया।

अतः प्रार्थी नवीन शासनादेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (O.P.S.) में आने का हकदार है। अधोहस्ताक्षरी वर्तमान व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम (N.P.S.) के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था (O.P.S.) के विकल्प का चुनाव कर रहा है।

सादर।

भवदीय,

Pandey 05-08-2024

दिनांक : 05.08.2024

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
इटावा।

Office Of The District Judge, Etawah
No. 14351 Date 5.8.2024
Forwarded
District Judge
Etawah

संलग्नक :–

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2003 बैच के लिए जारी नियुक्ति पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2. भरा हुआ प्रोफार्मा (विकल्प पत्र)।

शासनादेश संख्या–20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई 2024 का संलग्नक:

विकल्प पत्र

1. नाम .... **यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय (आई.डी.–यू.पी.2036)**
2. वर्तमान पदनाम............................ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), इटावा।
3. वेतनमान J–5 (144840–194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम.................. उ०प्र०न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम........... नियुक्ति अनुभाग–4, उ.प्र.शासन
6. विज्ञप्ति की तिथि............................15 नवम्बर, 2003 (विज्ञापन सं.A–2/E–1/2003)(प्रकाशित 22–28 नवम्बर, 2003 रोजगार समाचार)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि..... 18 सितम्बर 2014 उ.प्र. शासन नियुक्ति अनुभाग–4 सं०–647/दो–4–2014–45(2)/2013 लखनऊ
8. योगदान की तिथि....................... ...08 दिसम्बर, 2014
9. जन्म तिथि................................. 22.04.1974
10. सेवानिवृत्त की तिथि....................... 30.04.2034

मैं, **यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय** पुत्र श्री **स्व० डॉ० सुरेशचन्द्र पाण्डेय**, शासनादेश संख्या 14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (√)** में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

Y Pandey 05/08/24

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.)
इटावा।

घोषणा पत्र

मैं, **यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय,** पदनाम– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), इटावा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

Y Pandey 05/08/24

(यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधि.)
इटावा

सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री यज्ञेश चन्द्र पाण्डेय.....पदनाम ADJ/Spl. Judge POCSO Act Etw को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना(√) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति